पुलिस अफसरों के घर लगेगी अब “जहांगीरी घंटी”

दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नई शुरुआत

फील्ड में पदस्थापित पुलिस या प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अपने बड़े बंगलों बैठकर आराम फरमाने के लिए नहीं हैं...वे बड़े बंगले उन्हें इसलिए दिए गए हैं कि वहां भी वे आवश्यकता के अनुसार पीड़ितों की बाते सुने और उनकी मदद करे....बहुत पहले ऐसे अधिकारी गाँवों में जाकर कैम्प करके लोगो की बाते सुनते थे और उनकी मदद करते थे....जहाँगीरी घंटी : एक काल बेल जो इस गणतंत्र दिवस (2014) से दरभंगा प्रक्षेत्र के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आवास के बाहर भी कार्यशील हो चुकी है... प्रक्षेत्र में 10 जिलें हैं : 1. दरभंगा.2. समस्तीपुर 3.मधुबनी 4.सहरसा.5.मधेपुरा.6.सुपौल.7.पूर्णिया 8.किशनगंज 9. अररिया.10. कटिहार.

श्री अरविन्द पांडेय के अनुसार उन्होंने इस काल बेल को "जहाँगीरी घंटी" का नाम " मुजफ्फरपुर डी आई जी " के रूप में 2008 में दिया था.... यह काल बेल अब उनके दरभंगा आई जी आवास के बाहर भी कार्यशील है ..... कोई भी पीड़ित यदि तुरंत पुलिस सहायता की ज़रुरत समझता है तो रात-दिन,, कभी भी इस काल बेल का प्रयोग करते हुए अपनी तकलीफ एस पी , डीआईजी या आईजी के आवास पर जाकर संसूचित कर सकता है....वहां से तत्काल उसे कानूनसम्मत सहायता उपलब्ध कराई जायेगी.....

..... "जहाँगीरी घंटी" नाम इसलिए दिया गया क्योकि लोक-सेवक जहांगीर, जिन्हें इतिहासकारों ने मुग़ल सम्राट भी कहा है,, इस प्रयोग के लिए विख्यात हैं.

पुलिस अफसर आवास पर भी सुनेंगे फरियाद

आइजी अरविंद पांडेय

जागरण संवाददाता, दरभंगा : आइजी अरविंद पांडेय ने पुलिस पदाधिकारियों को चौबीस घंटे लोगों की फरियाद सुनने के लिए व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने जारी आदेश में कहा है कि प्रत्येक क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को अहर्निश कर्तव्यस्थ माना जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-36 के अनुसार आइजी, डीआइजी, एसपी, डीएसपी व पुलिस निरीक्षक को भी थानाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं। सभी पुलिस पदाधिकारी अपने आवास पर परिवाद सुनने और उसका समाधान किये जाने की प्रबन्ध-प्रणाली विकसित करेंगे। वो इस प्रकार होगा।

▶▶ सभी एसपी अपने कार्यालय में अपनी अनुपस्थिति की अवधि में भी।

▶▶ कार्यालय-अवधि यानी दस से शाम छह बजे तक एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे जो परिवादी की शिकायत सुनेंगे। ▶▶ एसपी के कार्यालय आने पर कागजात उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

▶▶ कार्यालय अवधि के बाद आगन्तुक परिवादियों का परिवाद पत्र प्राप्त कर उनकी शिकायतें सुनने के लिये प्रत्येक पुलिस अधीक्षक के आवासीय कार्यालय में शाम छह बजे से रात दस बजे तक दो पुलिस अवर निरीक्षक की क्रमिक प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो शाम छह बजे से रात में किसी भी अवधि में आकस्मिक संकट ग्रस्त परिवादी के आने पर उसकी शिकायतें सुनेंगे। आवश्यकता अनुसार पुलिस अधीक्षक का आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

दैनिक जागरण
20...अगस्त 2008

ऋषभ हत्याकांड का मुख्य आरोपी धराया

रंग लायी डीआईजी की पहल

मुजफ्फरपुर, हमारे प्रतिनिधि : डीआईजी अरविंद पांडेय की पहल रंग लायी। उनके निर्देश पर मंगलवार को पुलिस ने ऋषभ राज हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विश्वनाथ चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।

- कल्याणी चौक से दबोचा गया विश्वनाथ चौधरी

यहां बता दें कि दो साल पूर्व बोचहां थाना क्षेत्र के मादापुर गांव निवासी दिलीप चौधरी के पांच वर्षीय पुत्र ऋषभ की अपहरण के बाद हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में बोचहां पुलिस की निष्क्रियता से आजिज होकर दिलीप चौधरी व उनकी पत्नी अर्चना देवी ने गत 10 अगस्त को डीआईजी आवास पर 'जहांगीरी घंटी' बजाया था। उसके बाद डीआईजी ने इंस्पेक्टर को गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज शाम कल्याणी चौक से विश्वनाथ चौधरी को धर दबोचा। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर अर्चना ने पांच बार मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया तथा डीजीपी से मुलाकात भी की थी। बावजूद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

दरभंगा प्रक्षेत्र स्थायी आदेश संख्या- 11 /2014

वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति की अहर्निश सहायता के आशय से शिकायत सुनने, परिवाद पत्र प्राप्त करने तथा उन शिकायतों पर तत्काल उचित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने संबंधी

प्रायः ऐसी सूचना मिलती है कि देर रात अथवा असमय किसी बड़ी आकस्मिक घटना आदि की सूचना आम जनता द्वारा वरीय पदाधिकारी को देने में कठिनाई होती है और यदि कोई नागरिक आकस्मिक संकट में है और थानाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी ने उसकी उपेक्षा की है तब वह वर्तमान व्यवस्था में वरीय अधिकारी यथा पुलिस अधीक्षक, एवं अन्य वरीय अधिकारी के आवास पर मिलकर अपनी समस्या या पीड़ा व्यक्त करने में अपने को अक्षम पाता है। क्योंकि रात में पुलिस अधीक्षक या अन्य क्षेत्रीय अधिकारी के यहां शिकायत प्राप्त करने, परिवादी से मिलने और शिकायत के निराकरण की कोई प्रबन्ध प्रणाली उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति निवारणीय है।

ज्ञातव्य है कि प्रत्येक क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को अहर्निश कर्तव्यस्थ माना जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-36 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी सहित सभी पुलिस निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-महानिरीक्षक को भी थानाध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त है तब स्वभाविक रूप से अधोहस्ताक्षरी सहित सभी पुलिस निरीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक भी अहर्निश कर्तव्यस्थ हैं और उनके आवास पर भी परिवाद सुनने और उसका समाधान किये जाने की प्रबन्ध-प्रणाली अविलम्ब कार्य शील की जानी चाहिए।

अतः इस संबंध में निम्नांकित आदेश दिया जाता हैः-

01. सभी पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय में अपनी अनुपस्थिति के अवधि में भी कार्यालय-अवधि अर्थात 10:00 बजे से 06:00 बजे तक की अवधिक के लिये एक प्रतिनिधि-पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे जो प्रत्येक आगन्तुक परिवादी की शिकायतें ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा परिवाद पत्र प्राप्त कर उसे पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आने पर उनके समक्ष आदेशार्थ उपस्थापित करेंगे।

02. कार्यालय अवधि के बाद आगन्तुक परिवादियों का परिवाद पत्र प्राप्त कर उनकी शिकायते सुनने के लिये प्रत्येक पुलिस अधीक्षक के आवासीय कार्यालय में संध्या 06:00 से प्रातः 10:00 बजे तक के लिये दो पुलिस अवर निरीक्षक की क्रमिक प्रतिनियुक्ति की जायेगी जो संध्या 06:00 बजे से रात्रि की किसी भी अवधि में आकस्मिक संकट ग्रस्त परिवादी के आने पर उसकी शिकायते सुरेंगे तथा उसका परिवाद पत्र प्राप्त करेंगे तथा आवश्यकता अनुसार पुलिस अधीक्षक का आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इस हेतु पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरीय अधिकारियों के आवास के बाहर एक अतिरिक्त कॉल बेल संस्थापित की जाय, जिसका प्रयोग करने पर इस हेतु आवास में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/कर्मी कॉल बेल का प्रयोग करने वाले परिवादी के पास आकर उसकी शिकायत सुन सकें।

अधोहस्ताक्षरी के आवासीय कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर्मियों को इस बिन्दु पर अवगत एवं प्रशिक्षित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के आवासीय कार्यालय में प्रतिनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक को दूरभाष पर कोई आकस्मिक सूचना देने हेतु एक दूरभाष संख्या भी विनिर्धारित की जायेगी जिसे समाचार पत्रों, स्थानीय चैनलों आदि के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा ताकि आम जनता को इसकी जानकारी हो सके कि वे किसी भी समय उक्त नम्बर पर किसी आकस्मिक घटना या संकट की सूचना पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के आवासीय कार्यालय को भी दे सकें तथा तत्काल उचित पुलिस सहायता प्राप्त कर सकें।

इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

सभी पुलिस अधीक्षक इस आदेश की प्रति अपने-अपने जिलान्तर्गत सभी थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।

23.1.14

(अरविन्द पाण्डेय)
पुलिस महानिरीक्षक,
दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा।

ज्ञापांक- 300 /गो0

पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, दरभंगा प्रक्षेत्र।
दरभंगा, दिनांक-23.01.2014

प्रतिलिपिः- वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा एवं सभी पुलिस अधीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित। पुलिस अधीक्षक के गोपनीय प्रवाचक का दायित्व होगा कि वे इस आदेश की पठनीय प्रतिलिपि जिलें के सभी पुलिस उपाधीक्षकों, पुलिस निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों को प्राप्ति के दो दिनों के अभ्यन्तर प्राप्त कराकर इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को देंगे एवं आदेश की एक प्रति थाना, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय की रक्षी संचिका में चिपकाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

02. सभी पुलिस उप-महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।
03. पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र के निजी सहायक को रक्षी संचिका में संधारण करने हेतु प्रेषित।

23.1.14

पुलिस महानिरीक्षक,
दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा।